बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
आदेश

आदेश संख्या–14/प्रो0–102/2018 सा प्र0– 555 **पटना, दिनांक–** 14·1·19

श्री जय शंकर मंडल, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक– 520/11 को विभागीय अधिसूचना सं0–8927 दिनांक–23.06.16 द्वारा दिनांक–18.12.08 के प्रभाव से उप सचिव स्तर में, अधिसूचना सं0–1956 दिनांक–17.02.17 द्वारा दिनांक–23.06.16 के प्रभाव से अपर समाहर्ता स्तर में एवं अधिसूचना सं0–3887 दिनांक–30.03.17 द्वारा संयुक्त सचिव स्तर में प्रोन्नति दी गयी है। श्री मंडल को अधिसूचना सं0–17136 दिनांक–26.12.16 के द्वारा दिनांक–1.07.15 के प्रभाव से द्वितीय वितीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया है।

2. श्री मंडल को संकल्प ज्ञापांक–271 दिनांक–08.01.2014 द्वारा संचयात्मक प्रभाव से चार वेतनवृद्धि पर रोक का दंड संसूचित किया गया है। उक्त दंडादेश का कुप्रभाव दिनांक–30.06.18 तक है। परन्तु टंकण भूलवश श्री जय शंकर मंडल, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–520/11 को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–271 दिनांक–08.01.2014 के स्थान पर ज्ञापांक–271 दिनांक–08.01.2011 द्वारा संचयात्मक प्रभाव से चार वेतनवृद्धि पर रोक का दंड संसूचित किये जाने की सूचना प्रतिवेदित हो गया। टंकण भूलवश प्रतिवेदित दण्डादेश ज्ञापांक–271 दिनांक–08.01.2011 के आलोक में दंड का कुप्रभाव अवधि दिनांक– 30.06.15 को समाप्त हो जाने के कारण श्री मंडल को उपर्युक्त सभी लाभ प्रदान किये गये।

3. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर से अपर सचिव एवं समकक्ष स्तर में प्रोन्नति हेतु कार्रवाई के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री जय शंकर मंडल के संबंध में दंडादेश का वर्ष गलत प्रतिवेदित हो जाने के कारण दंडादेश के कुप्रभाव की गणना वर्ष 2014 से न कर वर्ष 2011 से की गयी और श्री मंडल को उपर्युक्त वितीय उन्नयन का लाभ एवं सभी प्रोन्नतियाँ प्रदान की गयीं। श्री जय शंकर मंडल के संबंध में दंडादेश की सही निर्गत तिथि संज्ञान में आने के पश्चात वस्तुस्थिति का उल्लेख करते हुये श्री मंडल के मामले को भी अन्य मामलों के साथ विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष रखा गया। विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा विचारोपरांत उनके संबंध में "दंडादेश के कारण प्रोन्नति के अयोग्य" की अनुशंसा की गयी।

4. ज्ञातव्य है कि विभागीय संकल्प ज्ञापांक–271 दिनांक–08.01.2014 की प्रति श्री जय शंकर मंडल को भी उपलब्ध करायी गयी थी। परन्तु श्री मंडल द्वारा दण्डादेश के कुप्रभाव की अवधि में प्रोन्नति हो जाने के संबंध में विभाग को कोई जानकारी नहीं दी गयी। राज्य सरकार के राजपत्रित पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि कोई विभागीय भूल यदि उनके संज्ञान में आती है तो उसकी जानकारी विभाग को दी जाय। अतः विभागीय पत्रांक–8349 दिनांक–22.06.2018 के द्वारा दंड के कुप्रभाव अवधि में दी गयी द्वितीय वितीय उन्नयन एवं सभी प्रोन्नतियों को निरस्त किए जाने की कार्रवाई विचाराधीन होने की सूचना देते हुए श्री मंडल को स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया गया। श्री मंडल ने अपने पत्रांक–1321 दिनांक–16.07.18 द्वारा स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया।

विभागीय अधिसूचना सं0–666 दिनांक–10.02.2010 के कंडिका–2(v) में निहित प्रावधान के अनुसार संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धियों के रोक की शास्ति की स्थिति में जितने वर्षों तक वेतनवृद्धि रूकी रहेगी उतने वर्षों तक, किसी प्रकार की प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकेगा। शास्ति की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ही देय तिथि से प्रोन्नति पर विचार संभव हो सकेगा। उक्त प्रावधान के आलोक में श्री मंडल से प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

5. विभागीय संकल्प ज्ञापांक–271 दिनांक–08.01.2014 द्वारा संचयात्मक प्रभाव से चार वेतनवृद्धि पर रोक संबंधी संसूचित दंड का कुप्रभाव 30.06.2018 तक होता है। दंडादेश का वर्ष 2014 के स्थान पर 2011 प्रतिवेदित हो जाने के कारण दंडादेश के कुप्रभाव की गणना वर्ष 2014 से न कर वर्ष 2011 से की गयी और इस स्थिति में विभागीय स्क्रीनिंग समिति/ विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा श्री मंडल को दंडादेश के कुप्रभाव अवधि में द्वितीय वितीय उन्नयन का लाभ, उप सचिव, अपर समाहर्ता तथा संयुक्त सचिव स्तर में प्रोन्नति देने की अनुशंसाएं की गयीं। विभागीय स्क्रीनिंग समिति/ विभागीय प्रोन्नति समिति उक्त अनुशंसाओं के आलोक में श्री मंडल को द्वितीय वितीय उन्नयन का लाभ, उप सचिव, अपर समाहर्ता तथा संयुक्त सचिव स्तर में प्रोन्नति प्रदान की गयी। विभागीय अधिसूचना सं0–666 दिनांक–10.02.2010 के कंडिका–2(v) में निहित प्रावधान के तहत उपर्युक्त अनुशंसाएं तथा

तदालोक में श्री मंडल को प्रदत द्वितीय वितीय उन्नयन का लाभ एवं उन्हें दी गयी उपर्युक्त प्रोन्नतियॉ नियमानुकूल नहीं हैं।

वर्णित स्थिति में श्री जय शंकर मंडल को अधिसूचना सं0–17136 दिनांक–26.12.16 के द्वारा प्रदत द्वितीय वितीय उन्नयन का लाभ, विभागीय अधिसूचना सं0–8927 दिनांक–23.06.16 द्वारा दिनांक–18.12.08 के प्रभाव से उप सचिव स्तर में दी गयी प्रोन्नति, अधिसूचना सं0–1956 दिनांक–17.02.17 द्वारा दिनांक–23.06.16 के प्रभाव से अपर समाहर्ता स्तर में दी गयी प्रोन्नति एवं अधिसूचना सं0–3887 दिनांक–30.03.17 द्वारा संयुक्त सचिव स्तर में दी गयी प्रोन्नति को निरस्त किया जाता है।

ह0/–
(आमिर सुबहानी)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक:–14/प्रो0–102/2018 सा प्र0– 555 पटना, दिनांक– 14.1.19

प्रतिलिपि:–प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0 टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/ महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/ जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/श्री जय शंकर मंडल, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–520/11, अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण) –सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/प्रबंधक, आई0 टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

14.1.19